<u>भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/28/2026-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

दिनांक : 30 जून, 2026

सेतु मामला आईडी – एडी/ओआई/031/2026

<u>जांच शुरुआत अधिसूचना</u>

विषय: चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मोल्डेड सोडा-लाइम ग्लास वायल्स" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने हेतु आवेदन

फा. सं. 6/28/2026-डीजीटीआर: समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" या "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स पीजीपी ग्लास लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" या "पीजीपी" कहा गया है) ने "मोल्डेड सोडा-लाइम ग्लास वायल्स" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. वर्तमान आवेदन में **चीन जनवादी गणराज्य** (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मोल्डेड सोडा-लाइम ग्लास वायल्स" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

3. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से **"मोल्डेड सोडा-लाइम ग्लास वायल्स"** के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित **मोल्डेड सोडा-लाइम ग्लास वायल्स**" है (जिसे इसके बाद **"ग्लास वायल्स"** या **"संबद्ध वस्तु"** या **"विचाराधीन उत्पाद"** या **"पीयूसी"** भी कहा गया है)।

5. विचाराधीन उत्पाद कांच का एक पैकेजिंग कंटेनर है जिसका मुख्य रूप से भेषज उद्योग में उपयोग किया जाता है। पीयूसी के अंतर्गत सोडा-लाइम ग्लास से निर्मित फार्मास्युटिकल ग्लास वायल्स आते हैं, जो टाइप-II और टाइप-III विनिर्देशनों के अनुरूप होते हैं। पीयूसी का उपयोग इंजेक्शन वाली दवाओं, टीकों, एंटीबायोटिक्स, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, हार्मोन की तैयारियों, स्टेराइल जल और डाइल्यूएंट्स, डायग्नोस्टिक रीएजेंट्स और प्रयोगशाला विनिर्मितियों के भंडारण के लिए किया जाता है।

6. पीयूसी दो रंगों में उपलब्ध है; फ्लिंट (साफ/रंगहीन) वायल्स और एम्बर (भूरा) वायल्स। इसके अलावा, पीयूसी विभिन्न क्षमताओं/आकारों में उपलब्ध है, तथापि इस जांच के प्रयोजनार्थ, पीयूसी को 5 मिली. से 30 मिली. की क्षमता/आकार रेंज तक ही सीमित रखा गया है।

7. निम्नलिखित वायल्स को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है:

क. सभी आकारों/क्षमताओं के टाइप-I बोरोसिलिकेट ग्लास वायल्स।

ख. टाइप-II मोल्डेड सोडा-लाइम ग्लास वायल्स (फ्लिंट और एम्बर दोनों), जिनकी क्षमता/आकार 30 मिली. से अधिक और 5 मिली. से कम है लेकिन 5 मिली. के बराबर नहीं है।

ग. टाइप-III मोल्डेड सोडा-लाइम ग्लास वायल्स (फ्लिंट और एम्बर दोनों), जिनकी क्षमता/आकार 30 मिली. से अधिक और 5 मिली. से कम है लेकिन 5 मिली. के बराबर नहीं है।

घ. ट्यूबलर ग्लास वायल्स।

<u>उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन)</u>

8. आवेदक ने अपने आवेदन में नीचे दिए गए अनुसार उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) प्रस्तावित की है:

क्र.सं.	मापदंड-1 वॉयल की क्षमता/आकार।	प्रस्तावित पीसीएन
1	5/7.5/8 मिली.	क

2	10 मिली.	ख
3	15 मिली.	ग
4	20 मिली.	घ
5	30 मिली.	ङ

माप की इकाई

9. विचाराधीन उत्पाद की बिक्री संख्या/नग के आधार पर की जाती है और इसलिए, वर्तमान आवेदन में विचार की गई माप की इकाई "नग" है।

टैरिफ वर्गीकरण

10. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 70 "ग्लास और ग्लासवेयर" के टैरिफ शीर्ष 7010 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है, जो "कारबॉय, बोतलें, फ्लास्क, जार, बर्तनों, फायल्स, एम्पुल्स और कांच के अन्य कंटेनर, जो माल के परिवहन या पैकिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं; कांच के परिरक्षण जार; कांच के स्टॉपर, ढक्कन और अन्य क्लोजर" के अंतर्गत टैरिफ मद 7010 90 00 में आता है। आवेदक ने यह भी आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात किसी अन्य शीर्ष/टैरिफ मदों के अंतर्गत भी किया जा सकता है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

11. आवेदक ने बताया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से आयातित वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन, तथा संबद्ध वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। संबद्ध वस्तुएं और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता संबंधित वस्तुओं और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच शुरू करने के प्रयोजनार्थ, प्रथम दृष्टया आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को संबंधित देश से आयात किए जा रहे उत्पाद के

समान वस्तु के रूप में माना गया है।

ग. संबद्ध देश

12. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जनवादी गणराज्य है।

घ. जांच की अवधि (पीओआई)

13. आवेदक ने प्रारंभ में 9 महीने अर्थात 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 (9 महीने) के लिए जांच की अवधि और क्षति जांच अवधि के रूप में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 और जांच की अवधि का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद, आवेदक ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी जांच की अवधि को संशोधित कर 12 महीने अर्थात 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 करने का निर्णय ले सकते हैं क्योंकि इससे पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध का अधिक सटीक और व्यापक मूल्यांकन हो सकेगा। इसलिए, आवेदक द्वारा प्रस्तावित संशोधित अवधि को जांच के प्रयोजनार्थ उपयुक्त माना गया है और तदनुसार प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (जिसे आगे "पीओआई" कहा गया है) को 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 महीने) और क्षति जांच की अवधि को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 और पीओआई मानने का निर्णय लिया है।

ङ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

14. नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

> "घरेलू उद्योग'' से तात्पर्य समग्र रूप से उन घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में लगे हुए हैं या जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित उत्पाद के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं इसके आयातक हों, तो ऐसी स्थिति में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों से लगाया जा सकता है।"

15. वर्तमान जांच का अनुरोध पीजीपी ग्लास लिमिटेड द्वारा किया गया है। आवेदन में आवेदक ने बताया है कि POI के दौरान संबंधित सामान के कुल

भारतीय उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी लगभग 34.65% है। आवेदक ने दावा किया है कि उसने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक तथा भारत में आयातक से संबंधित नहीं है।

16. आवेदक ने दावा किया है कि पीजीपी ग्लास लिमिटेड के अलावा भारत में पीयूसी के तीन अन्य उत्पादक हैं, जिनके नाम हैं—हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("एनएचजीआईएल"), एजीआई ग्लासपैक ("एजीआई") और न्यूट्रल ग्लास एंड एलाइड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ("एनजीएआई" या "गेरेसाइमर")।

17. अन्य भारतीय उत्पादकों में से, एनजीएआई ने वर्तमान जांच में अपना समर्थन व्यक्त किया है। आवेदक और सहयोगी उत्पादक मिलकर, POI के दौरान संबंधित वस्तुओं के कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 97.36% हिस्सा बनाते हैं।

18. रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्राधिकारी मानना है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर एक पात्र घरेलू उद्योग का गठन करता है और यह आवेदन एडी नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षा को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

क) चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

19. आवेदन में यह दावा किया गया है कि चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और इसलिए, चीन के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में संबंधित उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीन के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तब तक उनके सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। पैरा 7 के अंतर्गत, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में संबंधित वस्तुओं की कीमतों या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को होने वाली कीमत के आधार पर, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाना आवश्यक है।

20. इस संबंध में, आवेदक ने अनुरोध किया है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था वाले

किसी तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत की जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। इसलिए, आवेदक ने उचित लाभ मार्जिन के लिए समायोजित विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार चीन के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। जांच शुरूआत करने के प्रयोजनार्थ इसी पर विचार किया गया है।

ख) निर्यात कीमत

21. आवेदक ने अपनी बाजार आसूचना के अनुसार आयातों की मात्रा और कीमत पर विचार करके संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। तथापि, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ, कारखाना-द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए डीजी सिस्टम के आकड़ों को अपनाया गया है। समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन और अन्य व्ययों के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तावित समायोजन किए गए हैं।

ग) पाटन मार्जिन

22. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी अधिक है। इस प्रकार, इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध का साक्ष्य

23. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किए हैं। संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। आयातों के कारण कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण के साक्ष्य मौजूद हैं। संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

24. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी को संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य प्रथम दृष्टया मिलते हैं, जो नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत पाटनरोधी जांच शुरू करने का औचित्य सिद्ध करते हैं, ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और

पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए, तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

25. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, इस कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति और ऐसी क्षति तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्द्वारा, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि, जिसे यदि लगाया जाए, तो घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए एक पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हैं।

झ. प्रक्रिया

26. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) पर पंजीकरण करना आवश्यक है। सभी पत्र एवं अनुरोध सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम एवं संबंधित मामला आईडी सं.- एडी/ओआई/031/2026 के अंतर्गत अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस-वर्ड फार्मेट और आकड़ों की फाइल एमएस-एक्सेल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

28. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि इस जाँच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जाँच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

29. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जाँच शुरूआत अधिसूचना में यथा उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जाँच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में विहित ढ़ग और तरीके से वर्तमान

जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

31. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच से संबंधित किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in तथा सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जाँच से संबंधित आगामी प्रगति की जानकारी प्राप्त करने हेतु डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें तथा प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं तथा ऐसी अन्य सूचनाओं के बारे में समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिसों से अवगत रहें।

ट. समय-सीमा

32. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर उनके पंजीकृत नाम से और संगत मामला आईडी- एडी/ओआई/031/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए।

33. प्रत्येक अनुरोध के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (सीवी) तथा अगोपनीय संस्करण (एनसीवी), घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण को प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से **37 दिनों के भीतर** निर्धारित कालमों में अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के प्रावधानों के अनुरूप अपने जॉच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

34. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें।

35. पीयूसी के दायरे/पीसीएन पद्धति संबंधी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की **15 दिनों** की अवधि इस जॉच शुरूआत अधिसूचना के उक्त पैरा 33 में उल्लिखित समय सीमा के साथ समवर्ती रूप से चलेगी।

36. पीयूसी/पीसीएन के संशोधन के कारण समय-सीमा बढ़ाना: यदि प्राधिकारी, किसी आगामी नोटिस के माध्यम से, पीयूसी और पीसीएन को संशोधित करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था या जॉच शुरूआत अधिसूचना से भिन्न है, तो समय-सीमा में 15 दिनों का विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों का समय विस्तार

संशोधित पीयूसी और पीसीएन की ऐसी अधिसूचना की तारीख से प्रदान किया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होता है जहां जांच की शुरूआत के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 15 दिनों के विस्तार (यदि स्वीकृत हो) से आगे समय बढ़ाने के किसी भी अनुरोध पर, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

37. समय बढाने का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट मूल समय-सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय-सीमा के बाद प्रस्तुत अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

38. वर्तमान जाँच में यदि कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

39. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उनमें संलग्न परिशिष्टों/ अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अनुरोध अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

40. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

41. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त जानकारी शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी जानकारी के लिए, जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया है, वहां सूचना के प्रदाता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

42. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई सूचना (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) के गोपनीय अंश की अनुकृति होना अपेक्षित है और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत किया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु को उचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह

इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांशीकरण संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

43. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

44. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

45. गोपनीयता के दावे के संबध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार, उसके सार्थक अगोपनीय अंश या पर्याप्त एवं उचित कारणों के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

46. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल में उनके संबंधित लागिन के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे।

ढ. असहयोग

47. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जाँच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक जानकारी देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 30-06-2026
11:31:12